

प्रेषक,

जी0एस0 नवीन कुमार,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

गोरखपुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 11 जनवरी, 2024

विषय:-गोरखपुर महोत्सव दिनांक 11-13 जनवरी, 2024 के दौरान स्थानीय आपदाओं (प्राकृतिक एवं मानव निर्मित) से बचाव एवं इनके प्रभावों के न्यूनीकरण हेतु संचालित किये जाने वाले कार्यक्रमों हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-579/आपदा-2023-24, दिनांक 06.01.2024, जिसके माध्यम से कैपेसिटी बिल्डिंग मद में धनराशि रु० 4,76,000/- की मांग की गयी है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 11-13 जनवरी, 2024 को गोरखपुर महोत्सव में आपदाओं से बचाव एवं इनके प्रभावों के न्यूनीकरण हेतु संचालित किये जाने वाले कार्यक्रमों हेतु सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि रु० 4,76,000/- (रुपये चार लाख छिहत्तर हजार मात्र) आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०	प्रस्तावित गतिविधियां	अनुमानित व्यय (रु० में)
1	दामिनी तथा सचेत एप का व्यापक प्रचार-प्रसार, विभिन्न आपदाओं के दौरान क्या करें, क्या न करें विषयक प्रचार सामग्री (हैंडबिल, स्टैंडर्ड, डमी तथा फ्लैक्स इत्यादि) का प्रकाशन व वितरण तथा सोशल मीडिया व एप के द्वारा जागरूकता अभियान के संचालन पर व्यय	2,00,000.00
2	महोत्सव के दौरान तैनात मास्टर प्रशिक्षक जो कि उपस्थित जन समुदाय को प्रशिक्षित कर जागरूक करेंगे के मानदेय व जल-पान इत्यादि पर व्यय (कुल 03 दिवस x 12 मास्टर प्रशिक्षक (01 पाली में 06 प्रशिक्षक) x रु० 1,000/- प्रति प्रशिक्षक = रु० 36,000.00)	36,000.00
3	एल.ई.डी. वॉल एवं पी.ए. सिस्टम स्थापित कर आपदा न्यूनीकरण हेतु प्रदेश एवं केन्द्र सरकार द्वारा किये जा रहे सफल व जागरूकता संबंधी कार्यों का प्रदर्शन पर व्यय (03 दिवस x रु० 20,000/- रु० 60,000.00)	60,000.00
4	बाढ़, भूकम्प, वज्रपात, सर्पदंश, अग्निकाण्ड, बेमौसम वर्षा, डूबने से मृत्यु व शासन द्वारा घोषित अन्य आपदाओं तथा पर्यावरण संरक्षण विषयक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, स्टेशनरी, टेन्टेज एवं दस्तावेजीकरण	1,00,000.00

	आदि पर व्यय- ₹0 1,00,000/-	
5	गोरखपुर महोत्सव कन्टीजेंसी प्लान का निर्माण एवं सुरक्षा उपायोग से जन समुदाय को जागरूक किये जाने के दृष्टिगत आयर पलैक्स होर्डिंग के माध्यम से विभिन्न स्थलों पर प्रदर्शन	80,000.00
	योग	4,76,000.00
(रूपये चार लाख छिहतर हजार मात्र)		

- (1) उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेतर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-11- स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।
- (2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किस जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (3) उक्त धनराशि का व्यय एम0एच0ए0 के पत्र सं0-33-03/2020-एन0डी0एम0-1, दिनांक 11.07.2023 द्वारा जारी गाईड लाइन में उल्लिखित अर्ह मानक मदों के अनुसार किया जायेगा।
- (4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर कि जायेगा।
- (5) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।
- (6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये त माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसा <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- (7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-10-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च 2024 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।
- (8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय ₹0 4,76,000.00 (रूपये चार लाख छिहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-51 लेखा शीर्षक 2245058000611 स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

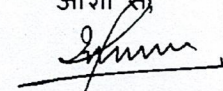
(जी0एस0 नवीन कुमार)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- मण्डलायुक्त गोरखपुर, मण्डल गोरखपुर, उ०प्र०।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- विशेष सचिव / नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 8- कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर, उ०प्र०।
- 9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-12/01/2024

प्रेषण संख्या:- 54
आवंटन आदेश संख्या:- 002-54
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	476000 5636192	476000 5636192
	योग	वर्तमान प्रगामी	476000 5636192	476000 5636192

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार लाख छिहत्तर हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छप्पन लाख छत्तीस हजार एक सौ बानवे

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आसक्त संगठन
उ०प्र० शासन